न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 113 सन 2022

अनवान :–

1. सीमा पत्नी राजकुमार जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नानूदेवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 188/39 की कुल 3.0360हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादीया के पिता धर्मपाल ने सयुक्त परिवार की कृषि भूमि एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि वादीया के नाम दर्ज करवाई गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया की माता है ने अपनी पुत्री दर्शनादेवी की शादी में परिविारिक समझौता के अनुसार अपनी पुत्री दर्शना के भरण पोषण हेतु दान की गई थी जो उसकी पुत्री दर्शना के नाम दर्ज है इसीप्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपनी पुत्री वादीया की शादी में परिवारिक समझौता के अनुसार वादीया को 1/3 हिस्सा भूमि का दान किया गया था जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही जिसकी आय से वादीया अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है किन्तु वादीया को शादी में दी गई भूमि वादीया के नाम से दर्ज नही है जिससे वादीया के हकों का हनन हो रहा है इसलिये वादीया अपने हक हिस्सा व दान में दी गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता के द्वारा शादी में दान में दी गई भूमि को वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पति ने सयुक्त परिवार की आय से प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाई गई थी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसने अपनी पुत्रीयों की शादी में परिवारिक समझौता के अनुसार अपनी पुत्रीयों के भरण पोषण के लिये अपनी पुत्रीयों को शादी में दान की गई थी पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी पुत्री दर्शना की हक हिस्सा की भूमि उसके नाम दर्ज करवाई जा चुकी है तथा वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज

Scanned with CamScanner

करवाना चाहती है वादीया को उसकी शादी में परिवारिक समझौता के अनुसार दान में दी गई भूमि उसके नाम दर्ज की जाती है जो प्रतिवादीया संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार को एतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 188/39 की कुल 3.0360हैक में से 2/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादीया के पिता धर्मपाल ने सयुक्त परिवार की कृषि भूमि एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि वादीया के नाम दर्ज करवाई गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया की माता है ने अपनी पुत्री दर्शनादेवी की शादी में परिविारिक समझौता के अनुसार अपनी पुत्री दर्शना के भरण पोषण हेतु दान की गई थी जो उसकी पुत्री दर्शना के नाम दर्ज है इसीप्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपनी पुत्री वादीया की शादी में परिवारिक समझौता के अनुसार वादीया को 1/3 हिस्सा भूमि का दान किया गया था जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही जिसकी आय से वादीया अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है किन्तु वादीया को शादी में दी गई भूमि वादीया के नाम से दर्ज नही है जिससे वादीया के हकों का हनन हो रहा है इसलिये वादीया अपने हक हिस्सा व दान में दी गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 188/39 की कुल 3.0360हैक में से 2/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वादीया के पिता ने सयुक्त परिवार की आय से प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाई गई थी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसने अपनी पुत्रीयों की शादी में परिवारिक समझौता के अनुसार अपनी पुत्रीयों के भरण पोषण के लिये अपनी पुत्रीयों को शादी में दान की गई थी पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी पुत्री दर्शना की हक हिस्सा की भूमि उसके नाम दर्ज करवाई जा चुकी है तथा वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहती है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीया को उसकी शादी के समय परिवारिक समझौता के अनुसार वादीया के भरण पोषण के लिये दान में दी गई थी जिसे वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है

Scanned with CamScanner

तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 188/39 की कुल 3.0360हैक में से 2/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में से 1/3 हिस्सा भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सीमा पत्नी राजकुमार जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 नानूदेवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 113 सन 2022 निर्णय दिनांक– 12/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 188/39 की कुल 3.0360हैक में से 2/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में से 1/3 हिस्सा भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner